



लिंगा मजिस्ट्रेट टॉक

३३

लिंगका कुल क्षेत्रफल 213 वर्गगज है एवं लिंगकी सीमाएं पूर्व में आम रास्ता, दक्षिण में सीमा 145, बाकें आम व आम पंचायत पनवाड़, तहसील देवली, लिंगा टॉक में स्थित है।
बंधक सम्पत्ति, बाहु लाल माली के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/संख्या. पट्टा
अप्रार्थी/अभियोगी, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सीविधा के एवज में
12,00,000/रुपये (अक्षरें बारह लाख रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया गया था व
कम्पनी से ऋण खाता संख्या HLR0000000017789 से दिनांक 22.03.2024 को कुल
बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीमण द्वारा प्रार्थी बैंक/
प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीमण,
Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The
Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

आदेश दिनांक 06.05.2026

अर्सेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेशियल
ऋणी/सहऋणी/जमानती

- 1-श्री गणेश कुमार अजमेरा पुत्र श्री बाहु लाल माली निवासी 168, मालियों की गली, आम पनवाड़ तहसील देवली जिला टॉक (राज.)
- 2- श्री बाहु लाल माली पुत्र श्री बरदा राम माली निवासी 168 मालियों की गली, आम पनवाड़ तहसील देवली जिला टॉक (राज.)
- 3-श्रीमति सीमा देवी पत्नी श्री बाहु लाल निवासी 168, मालियों की गली, आम पनवाड़ तहसील देवली जिला टॉक (राज.)
- 4-श्री शिवराज पुत्र श्री आम प्रकाश निवासी आम पनवाड़ माली का चौक तहसील देवली जिला टॉक (राज.)
- 5-श्री कमलेश कुमार अजमेरा पुत्र श्री बरदा निवासी 168, मालियों की गली, आम पनवाड़ तहसील देवली जिला टॉक (राज.)


बनाम

...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)
एम लोहा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सफल उदयपुर 313001 में स्थित, व कार्यरत है।
"एस्आरजी इन्वेंचर्स लिमिटेड" लिंगका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस्

प्रकरण संख्या 127/2025
प्रतिदि दिनांक 17.07.2025

(पीठाधीन अधिकारी टीना जॉ, आई.ए.एस.)

न्यायालय लिंगा मजिस्ट्रेट टॉक



का
निदेशिका
(टीना डी)

[Handwritten signature]

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खले न्यायालय से सुनाया गया।

वहन किया जाएगा।

वहनकर्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमां से देय है तो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के रखने हेतु जिना पुलिस अधीक्षक, टांक को पर्याप्त पुलिस जाणा सुझाया करने हेतु निर्णय स्वयं आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कर्नन व्यवस्था बनाने सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी संक्षम न्यायालय का पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एसेट्स एण्ड एनकोर्समेंट ऑफ सिविलियन प्रोपर्टी ऐक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की में रहन रखी गई सम्पत्ति को टी सिविलियन प्रोपर्टी ऐक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की निर्यात प्रति तहसीलदार देवली को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष

उत्तरदायित्व अधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी को होगा।

है, यदि नियमां के अन्वयण किसी प्रकिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो सम्पत्ति 2. आदेश अधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं प्रेष दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कथन से करावे।

1. रहन रखा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमान्तगत आक्षेप प्राप्त होता है तो सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन रखा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। अधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेचन कर उनके द्वारा दिये गये शपथ नियमां के अन्वयण सम्पत्ति कर्तव्य पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्वयं प्रकिया अधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आधार का शपथ पत्र प्रेष किया कि in his opinion, be necessary.

- (1) the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, as may,
- (2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.
- (a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and